

कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0), रामानुजगंज  
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

क्रमांक /  
प्रति, /भू-अर्जन/अविअ/2021

रामानुजगंज, दिनांक /02/2021

उप संचालक,  
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,  
खैरागढ़ रोड़ (चिखली), राजनादगांव (छ0ग0)

विषय :- छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कराने बाबत।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रं0-02 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) से प्राप्त भू-अर्जन प्रस्ताव के अनुसार चैरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण अन्तर्गत ग्राम-चैरा प0ह0नं0-07 तहसील-रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) के कुल खसरा नं0 16 कुल रकबा 3.860 हे0 भूमि का अर्जन किया जाना है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 धारा 4 (2) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक/1773/भू-अर्जन/2021 बलरामपुर, दिनांक 25.02.2021 तीन प्रतियों में संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है। कृपया छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का प्रकाशन कराने की व्यवस्था करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

/sel.  
(अभिषेक गुप्ता)  
भू-अर्जन अधिकारी  
रामानुजगंज

रामानुजगंज, दिनांक 26/02/2021

पृ0क्रमांक /4166/भू-अर्जन/अविअ/2021  
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, जन सम्पर्क संचालनालय, रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं अधिसूचना की 03 प्रतियां संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दैनिक समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशन की तिथि से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (नाजरात शाखा) जिला कार्यालय बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं एक अतिरिक्त प्रति कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का प्रकाशन हेतु आवश्यक सहयोग बाबत संप्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) जिला कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ कर लेख है, कि जिले की विभागीय वेबसाइट एवं छ0ग0 शासन राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उक्त अधिसूचना को अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. तहसीलदार, रामानुजगंज को अधिसूचना की 05 प्रतियों के साथ प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम में अधिसूचना का प्रकाशन करावें तथा संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत भवन तथा अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर एवं प्रतिवेदन अपनी रिपोर्ट सहित इस कार्यालय को वापस प्रस्तुत करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर को सूचनार्थ कर लेख है, कि ग्राम स्तर पर संबंधित ग्राम सभा को अधिसूचना की अन्तर्वस्तुओं के बारे में विशेष रूप से इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में सूचित किए जाने हेतु एवं ग्राम के सहज दृश्य स्थानों में प्रकाशन कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
8. कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशन हेतु।

/sel.  
(अभिषेक गुप्ता)  
भू-अर्जन अधिकारी  
रामानुजगंज



प्ररूप-एक

नियम 11 देखिये ,

कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज एवं पदेन उप सचिव, छ0ग0 शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 1773/भू-अर्जन/2021

बलरामपुर, दिनांक 25/09/2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4  
सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			एकड़ में	हेक्टेयर में	
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामानुजगंज	चेरा	9.53	3.860	चेरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक सामाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17/03/2021 को समय-11:00, बजे ग्राम पंचायत भवन चेरा पर नियत की गयी है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण :- चेरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- 10 खातेदार

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक

(छ) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है :- हाँ

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है :- हाँ

(आठ) परियोजना की कुल लागत :- 124.00 लाख (एक करोड़ चौबीस लाख रुपये मात्र)

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ :- चेरा व्यपवर्तन योजना से 180 हे0 खरीफ और 125 हे0 रबी की सिंचाई कुल 305 हे0 फसलों की सिंचाई की जा सकेगी। चेरा के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

(दस) प्रस्तावित सामाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जावेगा। संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो।

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक :- निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(श्याम धावडे)

कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज  
एवं पदेन उप सचिव, छ0ग0 शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भू-अर्जन अधिकारी  
रामानुजगंज  
जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ.ग.)



प्ररूप-एक

नियम 11 देखिये ,

कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज एवं पदेन उप सचिव, छ0ग0 शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक /1773/भू-अर्जन/2021

बलरामपुर, दिनांक 25/09/2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4  
सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			एकड़ में	हेक्टेयर में	
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामानुजगंज	चेरा	9.53	3.860	चेरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक सामाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17/03/2021 को समय-11:00, बजे ग्राम पंचायत भवन चेरा पर नियत की गयी है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- (एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण :- चेरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन  
(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- 10 खातेदार  
(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- निरंक  
(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक  
(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :- निरंक  
(छ) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है :- हाँ  
(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है :- हाँ  
(आठ) परियोजना की कुल लागत :-124.00 लाख (एक करोड़ चौबीस लाख रूपयें मात्र)  
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ :- चेरा व्यपवर्तन योजना से 180 हे0 खरीफ और 125 हे0 रबी की सिंचाई कुल 305 हे0 फसलों की सिंचाई की जा सकेगी। चेरा के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।  
(दस) प्रस्तावित सामाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जावेगा। संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख रूपयें मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो।  
(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक :- निरंक  
उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(श्याम धावडे)

कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज  
एवं पदेन उप सचिव, छ0ग0 शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भू-अर्जन अधिकारी  
रामानुजगंज  
जिला-बलरामपुर-रा.गंज(छ.ग.)